

उत्तर प्रदेश राज्य विधुत परिषद
"शक्ति भवन", 14 अर्थीक मार्ग, लखनऊ।

संख्या- 1604/का.पि.नी./रा.विप-29/99-2-का.पि.नी./07 दिनांक- 30 दिसम्बर, 1999-

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महाप्रबन्धक,
अध्यक्ष, विधुत सेवा आयोग,
मुख्य निपन्त्रक। लेखा/प्रशासन,
उत्तर प्रदेश राज्य विधुत परिषद

विषय :- सेवाकाल में अर्जित अवकाश संचयन की सीमा में वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि के दिनांक को परिषदीय सेवाओं के अवकाश हेतु में जमा अर्जित अवकाश के घटते धनराशि का नकद भुगतान।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदादेश सं०-198-पी.एच.एफ.पी./रा.विप-29-9पी.एण्ड एफ.पी./07, दिनांक 26.0.98 के आशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विचारोपरान्त परिषदीय सेवाओं के लिए अर्जित अवकाश के संचयन की विधमान अधिकतम 240 दिन की निर्धारित सीमा को घटाकर 300 दिन करने का निर्णय लिया गया है। यह सीमा उपभोग में किये गये अर्जित अवकाश के सामान्य नकदीकरण के अलावा निम्नांकित स्थितियों में भी प्रभावी होगी :-

1. अविश्रुतता की आधु पर सेवानिवृत्ति होने पर,
2. सेवारत मृत्यु होने पर,
3. ~~अविश्रुतता की आधु पर सेवानिवृत्ति होने पर,~~
4. अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर दिये जाने पर,
5. स्वीचिंग सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर,
6. नोटिस अधिसूचना नोटिस के घटते धनराशि और मृत्यु देकर अधिसूचना निवृत्ति के निवृत्तियों एवं शर्तों के अनुसार अनिवार्य सेवा समाप्त कर दिये जाने पर,
7. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर,
8. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से अलग हो जाते कर दिये जाने पर।

उक्त संशोधित परिषदादेश दिनांक 26.0.98 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधान ब्यापक लागू रहेंगे।

उपरोक्त आदेश वक्त परिषदादेश के निर्गमन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

भवदीय,

1 ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

संख्या- 1604/का.पि.नी./रा.विप-29/99, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुप्रसार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विधुत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारी, अभियन्ता/अध्यापक अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विधुत परिषद।
3. प्रमुख महानिरीक्षक (प्रशासक), उ०प्र० राज्य विधुत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/निजी सचिव/अनुभाग।

1 ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

कर ली गयी थी, उसके मामले में भी परिषदादेश सं०-914-काविनी/राविप-29/98-4(6)।

12-5-98 में निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए पुरानी समयबद्ध वेतनमान की योजना के तहत लाभ की सीमा तक प्रत्याप्ति की गयी धनराशि, यदि कोई हो, को उन्हें वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाये। परन्तु इस प्रकार धनराशि वापस किये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि वेतनबद्ध वेतनमान की योजना के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारणों में कोई त्रुटिपूर्ण समयबद्ध वेतनमान की योजना के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारण दृष्टिगोचर होता है, तो उसकी प्रत्याप्ति का समायोजन नियमानुसार कर लिया जाये।

4. उक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में परिषदाज्ञा सं०-2019-काविनी/राविप-29/97-4(6) 11पी/86 दिनांक 21-10-97 द्वारा निर्गत आदेश निष्प्रभावी समझे जायें।

4. अस्तु, आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

अवकाश एवम् अवकाश नकदीकरण Leave & Leave Encashment

सेवाकास में अर्जित अवकाश संचयन की सीमा में वृद्धि तथा सेवा निवृत्ति/मृत्यु आदि के दिनांक की

परिषदीय सेवाओं के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नकद भुगतान

संख्या-1604-काविनी/राविप-19/99-9-काविनी/87

दिनांक : दिसम्बर 30, 1999

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं०-108-पी. एंड एफ.पी./राविप-29-9पीएण्डएफ.पी./87, दिनांक 26-8-88 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोन्मुख परिषदीय सेवाओं के लिए अर्जित अवकाश के संचयन की विद्यमान अधिकतम 240 दिन की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 300 दिन करने का निर्णय लिया गया है। यह सीमा उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश के सामान्य नकदीकरण के अथवा निम्नांकित स्थितियों में भी प्रभावी होगी :—

- (क) अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर,
- (ख) सेवारत मृत्यु होने पर,
- (ग) निनम्नाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर,
- (घ) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर,
- (ङ) स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर,
- (च) नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अथवा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर,
- (ज) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर।

2. उक्त संदर्भित परिषदादेश दिनांक 26-8-88 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधान यथावत लागू रहें।

3. उपर्युक्त आदेश इस परिषदादेश के निर्गतन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

सेवा निवृत्ति के समय अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश की
अवधि का नकदीकरण ।

5

पत्र सं०-4065 जी/रा० वि०प०-एक-230 ए/66 दिनांक जून 23, 1978

राज्य शासन की अनुरूपता में परिषद ने यह निर्णय लिया है कि परिषदीय कर्मचारियों को अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का भुगतान कर दिया जाय ।

यह आदेश दिनांक '30-9-77 या उसके पश्चात अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने वाले परिषदीय कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

यह सुविधा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमत्त होगी ।

(1) अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा ।

(2) अवकाश वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकृत नकद भुगतान सेवा निवृत्ति पर देय होगा और उसकी अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एक मुश्त की जायेगी ।

(3) नकद धनराशि का भुगतान नीचे मद् (4) के अधीन रहते हुये,

सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के बदले धनराशि के आगणन की प्रक्रिया का सरलीकरण।

संख्या 2222-जी/रा० वि० प०-का-एक-230-ए/ दिनांक: अक्टूबर 24, 1986
1966

सेवा निवृत्ति के दिनांक को परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान विषयक कार्यालय ज्ञापांक 4065-जी/रा० वि० प०-एक-230 ए/1966, दिनांक 23 जून 1978, संख्या 317-जी/रा० वि० प०-एक-230 ए/1966, दिनांक 19 फरवरी, 1979 तथा संख्या-3683-जी/रा० वि० प०-का-एक-230 ए/66, दिनांक 1/2 फरवरी, 1984 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त ज्ञाप दिनांक 23 जून, 1978 के प्रस्तर-3 (3) में वर्णित अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार अनुमान्य अवकाश वेतन की भाँति धनराशि के आगणन की प्रक्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अर्जित अवकाश के वास्तविक उपभोग की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई सेवक 31 दिसम्बर, 1984 को सेवा-निवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिनों का उपाजित अवकाश अवशेष होता है तो उसे 1 जनवरी से 29 जून (माह फरवरी में 28 दिन होने की दशा में) तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी परन्तु यदि कोई सेवक 30 जून को सेवा-निवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिन का उपाजित अवकाश अवशेष है तो उसे 1 जुलाई से 27 दिसम्बर तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी। इस प्रकार के अवकाश वेतन का आगणन करने से वर्ष के विभिन्न महीनों में दिनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण सेवा निवृत्ति के दिनांक को अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान की जाने वाली धनराशि में एकरूपता नहीं रहती है।

2. उक्त विसंगति को समाप्त करने हेतु परिषद ने राज्य शासन को अनुरूपता में सहर्ष यह निर्णय किया है कि अभी तक विद्यमान उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर अब सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखों में जमा उपाजित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्रानुसार किया जायेगा :—

सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं गते नकद समतुल्य =	×	180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपाजित अवकाश के दिनों की संख्या।
---	---	--

सेवाकाल में अर्जित अवकाश के संचयन की सीमावृद्धि
तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि के दिनांक का परिषदीय
सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश का
नकदीकरण ।

संख्या: १९८-पी.एण्ड एपी./राविप-२९-२ पी.एपी./८७

दिनांक : अगस्त २६, १९८८

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि परिषदीय सेवकों के लिये अर्जित अवकाश के संचयन की विधमान अधिकतम १८० दिन की निर्धारित सीमा को बढ़ा कर २४० दिन कर दिया जाय । यह सीमा उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश के सामान्य नकदीकरण के अलावा निम्नांकित स्थितियों में भी प्रभावी होगी । -

- (क) अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर ,
- (ख) स्वैच्छिक/समय पूर्व सेवा-निवृत्ति लेने की अवस्था में ,
- (ग) उन विषयों में जहां परिषदीय सेवक की सेवा नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतनादि का भुगतान करके या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त हो जाती है ।

(घ) सेवा-निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की अवधि में एवं

(ङ) सेवाकाल में सेवक की मृत्यु की दशा में उसके परिवार को उक्त नकदीकरण की धनराशि के भुगतान में ।

२. ऐसे परिषदीय सेवक जो सेवा से त्यागपत्र देते हैं अथवा सेवा छोड़ देते हैं उन्हें सेवा समाप्ति की तिथि को उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में कुल जमा अर्जित अवकाश के आधे अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य होगा जो १२० दिन से अधिक नहीं होगा ।

३. उपरोक्त निर्णय दिनांक १ जुलाई, १९८८ से प्रभावी होगा तथा विषय में यथेष्ट विस्तृत आदेश बाद में अलग से जारी किये जायेंगे । यदि किन्हीं सेवकों ने दिनांक १ जुलाई, १९८८ से उपरोक्त आदेशों के निर्गतन की तिथि तक मात्र व्यपगत होने की आशंका से ग्रस्त होकर अर्जित अवकाश का नकदीकरण करवा लिया हो किन्तु अब वे उसके संचयन के इच्छुक हो तो वे प्रश्नगत नकदीकरण की धनराशि वापस जमा करके संगत अवकाश अपने खाते में संचयित करा सकते हैं ।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :- 1238 निदे० (मा०सं०) / उपाकालि० / अनु०का०डी० दिनांक : 12/04/2021

उपमहाप्रबन्धक (वित्त),
परियोजना तथा वेतन एवं लेखा,
वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

विषय:- श्री राकेश चन्द्र, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त) को सेवानिवृत्ति उपरान्त देय हित लाभ हेतु 75 प्रतिशत पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कारपोरेशन के ज्ञापांक-69-मा०सं०/केबी-ओ/पेंशन, दिनांक 17.02.2003 एवं 269 निदे० (मा०सं०) / उपाकालि दिनांक 22.01.2005

उपर्युक्त प्रसंग में श्री राकेश चन्द्र, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त), सम्बद्ध कार्यालय निदेशक (वित्त), विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून जो कि कारपोरेशन के ज्ञापांक 1593/निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०डी०/लेखा/से०नि० दिनांक 30.06.2020 के अनुसार अधिवर्षता पर दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के पेन्शन प्रपत्र समस्त संलग्नकों सहित यथाप्राप्त रूप में इस आशय से अग्रसारित किये जा रहे हैं कि श्री राकेश चन्द्र, वरिष्ठ लेखाधिकारी(सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने के कारण उनकी पूर्ण ग्रेच्युटी की राशि एवं 25 प्रतिशत पेन्शन को रोकते हुए मात्र 75 प्रतिशत अनन्तिम पेन्शन के भुगतान हेतु अधोअंकित प्रतिबन्धाधीन प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है कि स्वीकृति से पूर्व :-

1. प्रस्तुत पेंशन प्रपत्रों की संलग्नकों सहित यथाप्रवृत्त नियमों/आदेशों के परिपेक्ष्य में गहन जाँच कर ली जाए
2. विभागीय आवास (यदि आबंटित रहा हो) सम्बन्धी देयों तथा अन्य किसी भी प्रकार के अवशेष देयों का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाए।

संलग्नक:- पेंशन प्रपत्र संलग्नों सहित मूल रूप में।

12.04.2021
(के०बी०चौबे)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्रभारी)

पत्रांक: 1238 /निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/पेंशन/तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/मा०सं०), विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(वित्त), परिचालन, वाणिज्य एवं जानपद, वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. श्री राकेश चन्द्र, वरिष्ठ लेखाधिकारी(सेवानिवृत्त), एकता विहार, लेन नं० 6, सहस्रधारा रोड़, पोस्ट ऑफिस, कण्डोली, देहरादून।
5. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

12.04.2021
(के०बी०चौबे)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)(प्रभारी)